कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 26.03.2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 25.03.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 15/2026 धारा 85, 80(2), 352 BNS व 3/4 DP ACT से सम्बन्धित 25,000/- रु0 की इनामिया 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.03.2026 को थानाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2026 धारा 85, 80(2), 352 BNS व 3/4 DP ACT से सम्बन्धित 25000/- रु0 की इनामिया अभियुक्ता आशा देवी पत्नी अंगद यादव निवासिनी ग्राम बयेपुर (मड़ई) थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को बड़सरा बाईपास तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता का नाम, पता-

आशा देवी पत्नी अंगद यादव निवासी ग्राम बयेपुर (मड़ई) थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 56 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 15/2026 धारा 85, 80(2), 352 BNS व 3/4 DP ACT थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

02. थाना भुड़कुड़ा पुलिस टीम द्वारा 87 किग्रा 700 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ सिंह मय हमराह थाना एएनटीएफ गाजीपुर तथा उ0नि0 श्री रणजीत सिंह चौकी प्रभारी हथियाराम मठ मय हमराह थाना भुड़कुड़ा द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर SPBD इण्टर कालेज तिराहे के पास से वाहन सं0 UP32GY1257 के चेकिंग के दौरान 83 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 02 नफर अभियुक्तगण 1.प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव 2. अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह को

गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/26 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र48 वर्ष (गिरफ्तार)
2. अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी बंशीबाजार हडसर थाना सिकन्दर पुर जनपद बलिया उम्र 34 वर्ष (गिरफ्तार)

बरामदगी –

83 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा, 01 अदद वाहन UP32GY1257 मारुति सुजुकी एस क्रास जेटा बरामद।

अभियुक्तगण का आपराधिक विवरणः-

(A) प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 80/15 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 158/17 धारा 272,273,284,304,328 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना बिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 263/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना बिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 160/18 धारा 255,272,273,420,467,468,471 भादवि व 51/63 कापीराईट अधि0 1957 थाना बिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 167/2011 धारा 255,272,273,420,467,468,471 भादवि 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना बिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।
6. म0अ0सं0 85/19 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 70/21 धारा 147,148,149,171H,186,307,332,333,420,427,467,468,471,504,506 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना बिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 302/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 383/23 धारा 376,504,506 भादवि थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 177/18 धारा 186,189,255,272,273,353,420,467,468,471 भादवि व 51/63 कापीराईट अधि0 1957 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 189/18 धारा 272,273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 225/18 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 125/15 धारा 272, 273, 419, 420, 467, 468 थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 126/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़।
15. मु0अ0सं0 177/19 धारा 395,412,419,420 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
16. मु0अ0सं0 181/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बड़हलगंज गोरखपुर।
17. मु0अ0सं0 76/26 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर।

(B) अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी बंशीबाजार हडसर थाना सिकन्दर पुर जनपद बलिया

1. मु0अ0सं0 76/26 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर।

03. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर डीपी एक्ट के मुकदमे के प्रत्येक अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000-8,000 रू0 के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा"

दिनांक 25.03.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2024 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट व वैकल्पिक धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए कुल 02 नफर अभियुक्तगण 01. अनोज कुमार पुत्र राजकुमार 02. मीरा देवी पत्नी राजकुमार निवासीगण महमूदपुर रायभानपाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर को धारा 80(2) बीएनएस में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 85 बीएनएस में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000-3000 रु0 अर्थदण्ड, धारा ¾ डीपी एक्ट में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000-5,000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

4. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा कई वर्षों से फरार चल रहे 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय एवं टीम द्वारा मा0 कुटुम्ब न्यायालय, प्रधान न्यायधीश गाजीपुर प्र0फो0मु0सं0 364/24 सानमती बनाम सर्वेश कुमार धारा 128 सीआरपीसी से सम्बंधित अभियुक्त सर्वेश कुमार राजभर उर्फ पिन्टू पुत्र मनन प्रसाद जो कि बार-बार सम्मन, वसूली वारण्ट गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होने के बावजूद भी रुपोश होकर गुजारा भत्ता से सम्बन्धित रुपया 3,15,000/00 दिये जाने से बचने हेतु करीब 04 वर्षो से फरार चल था। जिसे आज दिनांक 25.03.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे मा0न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा मे लेकर जिला कारागार गाजीपुर भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तारशुदा वारण्टी -

1. सर्वेश कुमार राजभर उर्फ पिन्टू पुत्र मनन प्रसाद स्थायी पता ग्राम भदौरा थाना भावरकोल गाजीपुर मो0नं0 8826399450

वर्तमान पता - एफ 71 संजय कालोनी बीट नं0 7 थाना ओखला फेज 02 ओखला इण्डस्ट्रियल स्टेट साउथ दिल्ली

5. थाना सैदपुर पुलिस द्वारा डीपी एक्ट के मुकदमें में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 25.3.2026 को उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 89/2026 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित फरार चल रहे वांछित अभियुक्त महेन्द्र सिंह यादव को संजय वन रेलवे स्टेशन सैदपुर भीतरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. महेन्द्र सिंह यादव पुत्र बृजमोहन सिंह यादव निवासी फुलवारी कला थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष

अपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 89/2026धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का स्थानः - संजय वन रेलवे स्टेशन सैदपुर भीतरी थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

06. परिवार परामर्श केंद्र गाज़ीपुर द्वारा पुलिस लाइंस के प्रांगण में अलग हुए 04 परिवारों को मध्यस्थता के माध्यम से कराई गई विदाई।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाज़ीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 25.03.2026 को परिवार परामर्श केंद्र गाज़ीपुर में पति पत्नी के विवाद से संबंधित कुल 14 प्रकरण को सुना गया। जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 04 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठक मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गले शिकवे भुलाकर विदाई कराई गई।

04 पारिवारिक विवाद में कुशलता के बाद पत्रावली बंद कर दी गई। 02 प्रकरण में विधिक सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई शेष प्रकरण में अभी मध्यस्थता न होने पर अगली तिथी निर्धारित की गई। इन सभी प्रकरण के निस्तारण में कमरूद्दीन, महिला आरक्षी रागिनी चौबे, महिला आरक्षी अभिलाषा, महिला आरक्षी संध्या, महिला आरक्षी अभिलाषा आदि लोग प्रमुख रहे।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर